457

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 608) पटना, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई 2021

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

अधिसूचना
29 जून 2021

सं0 गव्य (यो0–2)01/2003/537—भारतीय–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के "बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. ***संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–***
   (1) यह नियमावली "बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2021" कही जाएगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. ***बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 के नियम 2 (छ) का प्रतिस्थापन।–***
   उक्त नियमावली के नियम 2 का उप नियम (छ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   " (छ) आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग" ;

3. ***बिहार गव्य सम्वर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 के नियम 4 का प्रतिस्थापन।–***
   उक्त नियमावली का नियम 4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   "4. पद स्थिति।–
   (i) इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत होगा –

क्र0	***पदनाम***	***प्रास्थिति***	***नियुक्ति प्राधिकार***
1.	गव्य तकनीकी पदाधिकारी/गव्य क्षेत्र पदाधिकारी (बेसिक कैडर)	अराजपत्रित	निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।
2.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	राजपत्रित	बिहार राज्यपाल/ सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

क्र0	पदनाम	प्रास्थिति	नियुक्ति प्राधिकार
3.	उप निदेशक (मुख्यालय)/उप निदेशक (गव्य विकास)/गव्य अर्थशास्त्री	राजपत्रित	बिहार राज्यपाल/ सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4.	संयुक्त निदेशक (गव्य)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)/गव्य अभियंता	राजपत्रित	बिहार राज्यपाल/ सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
5.	निदेशक (गव्य)	राजपत्रित	बिहार राज्यपाल/ सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(ii) इस संवर्ग के पद सोपान के पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जो कि सरकार/वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत है या समय–समय पर स्वीकृत किया जाएगा।"

4. ***बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 के नियम 5 उप नियम 2 का प्रतिस्थापन।–***

उक्त नियमावली का नियम 5 उप नियम (2) निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"(2) बिहार गव्य संवर्ग (बेसिक कैडर) में सीधी भर्त्ती हेतु आर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0 टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी)/बी0 एस–सी0 (डेयरी टेक्नोलॉजी)/दो वर्षों के कार्यानुभव के साथ आई0 डी0 डी0 (डी0 टी0/डी0 एच0) होगी"।

5. ***बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 के नियम 5 उप नियम (3) का प्रतिस्थापन।–***

उक्त नियमावली का नियम 5 उप नियम (3) निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"(3) इस संवर्ग की मूल कोटि के सभी पदों पर सीधी भर्त्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग या समय–समय पर सरकार द्वारा गठित आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। चयन हेतु कुल 100 (एक सौ) अंकों में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को 65 (पैंसठ) प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। बिहार सरकार के विभागों में संविदा/अनुबंध पर किए गए एक वर्ष के कार्यानुभव के लिए 100 (एक सौ) अंकों में प्रत्येक कार्यरत वर्ष के लिये 05 (पाँच) अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 (पचीस) अंकों की होगी, का वेटेज दिया जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय/संस्थानों से उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को 100 अंकों में से 10(दस) अंक का वेटेज दिया जाएगा।"

6. ***बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 के नियम 12 उप नियम (1) का प्रतिस्थापन।–***

उक्त नियमावली का नियम 12 उप नियम (1) का निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

" (1) संवर्ग के उच्चतर पद सोपानों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से संसूचित किया जाएगा"।

7. ***बिहार संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 के साथ संलग्न अनसूची का प्रतिस्थापन। –***

"बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2021 हेतु अनुसूची उपरोक्त प्रतिस्थापित नियमानुसार संशोधित समझा जायेगा"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 एन0 विजयलक्ष्मी,
सरकार के प्रधान सचिव।

Animal & Fisheries Resources Department
(Dairy Development)

Notification
29th June 2021

S.N. गव्य (यो0–2)01 / 2003 / 537.—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to amend regulate the recruitment and promotion to the Bihar Dairy Cadre of the Animal & Fisheries Resources Department:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (1) These Rules shall be called "The Bihar Dairy Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2021".
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.
2. ***Substitution of Rule 2 (g) of Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013.—*** Substitute (g) of Rule (2) of the said Rules shall be substituted by the following :-
   " (g) Commission means Bihar State Technical Service Commission"
3. ***Substitution of Rule 4 of Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013.—*** The Rule 4 of the said recruitment Rules shall be substituted by the following :-
   " **4. Status of Posts –**
   (i) The hierarchy of this cadre shall be as follows-

S.No.	Designation	Status of Post	Appointing Authority
1	Dairy Technical Officer/ Dairy Field Officer (Basic Cadre)	Non–Gazetted	Director (Dairy), Dairy Development Directorate, Bihar, Patna.
2	District Dairy Development Officer or Equivalent	Gazetted	Governor of Bihar/ Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department. Bihar
3	Deputy Director (HQ)/ Deputy Director (Dairy)/ Dairy Economist	Gazetted	Governor of Bihar/ Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department. Bihar
4	Joint Director (Dairy)/ Regional Joint Director (Dairy)/ Dairy Engineer.	Gazetted	Governor of Bihar /Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department. Bihar
5	Director (Dairy)	Gazetted	Governor of Bihar /Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department. Bihar

(ii) The Posts and Pay Scale/Pay Level of this cadre hierarchy shall be same as sanctioned or shall be sanctioned by the Government/Finance department from time to time .

(454

4. ***Substitution of Rule 5 subrule (2) of the Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013.***— Subrule (2) of Rule 5 of the said Rules shall be substituted by the following :-

"(2) The eligibility for direct recruitment in the basic cadre of Bihar Dairy Cadre shall be B.Tech. (Dairy Technology)/B.Sc. (Dairy Technology) /IDD (DT/DH) with two years experience, from recognized University/ Institute".

5. ***Substitution of subrule (3) of Rule 5 of the Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013 .***— Subrule (3) of Rule 5 of the said Rules shall be substituted by the following :-

" (3) The direct recruitment in basic cadre shall be done on recommendation of Bihar State Technical Service Commission or time to time commission formed by Government of Bihar. During selection process of candidates out of 100 Marks 65% weightage will be given for marks obtained in the required technical qualification, for each working year weightage of 5 (Five) marks will be given, whose maximum weightage will be 25 (Twenty Five) Marks & weightage of 10 (Ten) marks will be given to the candidates who have obtained required Technical qualification from colleges/Institutions situated in Bihar State".

6. ***Substitution of subrule (1) of Rule 12 of the Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013.***— Subrule (1) of Rule 12 of the said Rules shall be substituted by the following :-

" (1) The department shall notify a Separate order to form Departmental Promotion Committee for the Promotion on higher post/posts hierarchy for this cadre".

7. ***Substitution of enclosed schedule of the Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013.***— The enclosed schedule of the said Rules shall be substituted by the following :-

" Schedule for the Bihar Dairy Cadre Recruitment Rule (amendment) 2021 shall be deemed to be amended as per above substituted Rules ".

By the order of Governor of Bihar
Dr. N. Vijyalakshmi,
Principal Secretary to Goverment.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 608-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in